RASHTRIYA SAHARA N.D 20/12/18

नए साल में सस्ते होंगे टायर और सीमेंट

जीएसटी दर घटाकर 18% करने की तैयारी

■ नई दिल्ली (भाषा)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद वाहनों के टायरों पर जीएसटी दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की अगली बैठक शनिवार को है।

यह कदम सबसे ऊंचे 28 फीसद के कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि 1200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 फीसद पर 18 फीसद या उससे कम जीएसटी लगेगा। एक अधिकारी ने कहा, 'वाहन टायरों पर 28 फीसद जीएसटी से आम आदमी प्रभावित हो रहा है। 22 दिसम्बर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में मुख्य ध्यान आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर होगा।'

फिलहाल 28 फ़ीसद के ऊंचे कर स्लैब में 34 वस्तुएं हैं। इनमें वाहन टायर, डिजिटल कैमरा, एयर कंडीशनर, डिश वाशिंग मशीन, सेट टॉपबॉक्स, मॉनिटर और प्रोजेक्टर के अलावा कुछ निर्माण उत्पाद मसलन सीमेंट शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि सीमेंट पर कर की दर को घटाकर 18 फीसद करने से सरकार पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा, इसके बावजूद परिषद यह कदम उठा सकती है।

जो उत्पाद 28 फीसद कर स्लैब में कायम रखे जाएंगे उनमें शीतल पेय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, धूम्रपान पाइप, वाहन, विमान, याट, रिवाल्वर और पिस्तौल तथा गैंबलिंग लॉटरी शामिल हैं। जीएसटी के पांच कर स्लैब शून्य, 8, 12, 18 और 28 फीसद हैं।